Non-Implementation of coal wage agreements

701. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not implemented the National Coal Wages Agreement-3;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether it is also fact that Government have now entered into the agreement with the JBCCI and this agreement known as NCWA-4 has also not been acted upon; and

(d) if so, what are the reasons for non-implementation of both the agreements?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (c) The provisions contained in the National Coal Wage Agrecments-III & IV in regard to wages, allowances etc., have been implemented. The implementation of welfare measures such as construction of houses, water supply, medical facilities etc., is a continuing process and since nationalisation there has been considerable progress in these areas.

However, the Trade Unions have been asking for introduction of the Retirement Benefit Scheme, which was mentioned in the Notes of Conclusion of National Coal Wage Agreement-Ill. This matter is under consideration of the core group of JBCCI. Another provision contained in clause 9.4.4 of NCWA-III providing for employment to one dependent of the retiring employee could not be implemented as it was found violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. Further, the implementation of the Agreement is reviewed regularly in the meetings of the Joint Bipartite Committee for the Coal Industry and its Standardisation Committee.

NCWA-IV was signed on 27th July, 1989 by the representatives of Joint Bipartite Committee for the Coal Industry and the Agreement was in force from 1.1.89 to 30.6.91.

(d) Does not arise.

उत्पादन लागत को कम करने हेतु उठाए गए कदम

702. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कोयले की कीमतों में पुनः वृद्धि करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोयले की उत्पादन लागत कम करने के लिए विगत वर्षों में कतिपय कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो कब और क्या कदम उठाए गए हैं और इनके परिणामस्वरूप कोयले की कीमतों में कितनें प्रतिशत गिरावट आने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान कितनी कोयला खानों में कोयले के उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू की गई है तथा उसके परिणामस्वरूप इसके उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसतन कीमतों में दिनांक 17-2-1993 से क्रमशः 12.8% और 11.8% बढ़ा दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कोयले की उत्पादन लागत में कमी किए जाने के लिए उठाए गए कुछ बड़े कदमों को नीचे दर्शाया गया है:—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमिकों के पुनर्नियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए रिक्त पदों के एवज़ में नए कामगारों के नियोजन पर प्रतिबंध शामिल है।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए श्रमशक्ति में कमी।

(3) प्रयोगात्मक आधार पर "आल मैन-आल जाब" की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है।

(4) उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों पर विशेष बल।

(5) पर्याप्त रूप में वर्कशाप स्पोर्ट मुहैया करके उपकरणों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार और उपकरणों की समय पर व्यवस्था।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार करने के लिए कई पद्धतियों में सुधार और प्रबन्धकीय उपायों को अंगीकृत किया गया है।